

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>चन्द्रशेखर चौहान बनाम लो.सू.अ. ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 79/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>03.06.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर चौहान पुत्र श्याम सुन्दर चौहान पता सदर बाजार, महामंदिर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.02.2019 में उसके द्वारा (1) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के मतदाता सोहनलाल पुत्र मुन्नालाल (TGW/1723584), शैलेन्द्र पुत्र मोहनलाल TGW/1723600) महेश पुत्र सोहनलाल TGW/1723618) का नाम सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ने की दिनांक व जोड़ने का आधार बतावे एवं जोड़ने के लिए की गई कार्यवाही का भी विवरण व दो बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) से जरिये सूचनार्थ पत्रांक 13067 दिनांक 27.05.19 ( अपील संख्या 67/19 संलग्न है) प्राप्त हुआ। इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 67/2019 एवं अपील संख्या 79/2019 में चाही गई सूचना एक समान होने से यह अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	